

# स्वदेशी की ताकत से भारत बनेगा दुनिया की महाशक्ति : भजनलाल शर्मा

प्रधानमंत्री मोदी का "मेक इन इंडिया" का उद्घोष बना आत्मनिर्भर भारत का आह्वान : मुख्यमंत्री

**-कार्यालय संवाददाता-**  
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वदेशी हमारी संस्कृति का हिस्सा है और यह हमारी समातन परंपरा है। स्वदेशी की इसी ताकत से हमारा देश आत्मनिर्भर बनने के साथ ही दुनिया की महाशक्ति बनेगा। शर्मा शुक्रवार को जगतपुर में स्वदेशी जागरण मंच के उद्यमी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जगतपुर में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से आयोजित उद्यमी सम्मान समारोह में भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया।

उन्होंने कहा कि स्वदेशी और स्वावलंबन भारत की आत्मा में हजारों वर्षों से समाए हुए हैं। सदियों पहले जब यूरोप के देश व्यापार के नाम पर दुनिया में भटक रहे थे, तब भारत के मुर्शिदाबाद की मलमल, बनारस का रेशम, राजस्थान की लहरिया और बंधेज पूरी दुनिया के बाजारों की शान थे। उन्होंने कहा कि इसी पहचान और आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी जागरण मंच लगातार परिश्रम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड का उद्घोष कर पुनर्जागरण का आह्वान किया है। कोरोना के समय हमारे देश ने दुनिया के कई देशों को दवाइयां और वैक्सिन भेजी। यह आत्मनिर्भर भारत की ताकत थी और प्रधानमंत्री की उस सोच का परिणाम भी जिसने भारत को उपभोक्ता से उत्पादक बनाने का कार्य किया था। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच के सहयोग और कार्यों से देश

महानत का ही फल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े उद्योगों के साथ ही छोटे एवं स्थानीय उद्यमियों से आत्मनिर्भरता आती है। यही स्वदेशी की आत्मा और ग्रामीणों की ताकत है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की खरीददारी से उस उत्पाद से जुड़ी पूरी श्रृंखला को सहारा मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए

पंच गौरव कार्यक्रम लागू किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पहले वर्ष में ही राईजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया। जिसके तहत 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश एमओयू हुए। इनमें से 8 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हस्तशिल्प कला भी हमारी पहचान है, जिसके

■ भजनलाल शर्मा ने कहा कि "सदियों पहले जब यूरोप के देश व्यापार के नाम पर दुनिया में भटक रहे थे, तब भारत के मुर्शिदाबाद की मलमल, बनारस का रेशम, राजस्थान की लहरिया और बंधेज पूरी दुनिया के बाजारों की शान थे।"

उत्पादों की विश्व में मांग है। वहीं किले, महल, अभ्यारण्य और मंदिरों से हमारा पर्यटन क्षेत्र निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी की हवेलियों हमारी धरोहर है। हमारी सरकार इन हवेलियों को चिन्हित करते हुए इनके संरक्षण का काम कर रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक आर. सुंदरम, राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल, अखिल भारतीय महिला प्रमुख अर्चना मीणा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर प्रांत के संघचालक महेन्द्र सिंह मगगोसहित प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।

## कलेक्टर और एसपी ने क्या कोर्ट को पोस्ट ऑफिस समझ रखा है : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पैरोल प्रार्थना पत्रों को लापरवाही से खारिज करने से जुड़े मामले में भरतपुर कलेक्टर और एसपी पर नाराजगी प्रकट की। अदालत ने कहा कि आप लोगों ने कोर्ट को क्या पोस्ट ऑफिस समझ रखा है। आपके इसी रवैये के चलते कोर्ट में पैरोल से जुड़े प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं और हम जरूरी मामलों को सुनवाई नहीं कर पाते हैं। जस्टिस महेन्द्र गोयल व जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह टिप्पणी शुक्रवार को अनिल कपूर उर्फ रिंकू की याचिका पर सुनवाई करते हुए की।

सुनवाई के दौरान अदालत आदेश की पालना में भरतपुर कलेक्टर व एसपी कोर्ट में हाजिर हुए। अदालत ने दोनों अफसरों को कहा कि वे इन मामलों में अपना महत्वपूर्ण काम में क्यों नहीं लेते हैं। मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता कैदी 12 साल की सजा काट चुका है और वह पिछले 4 साल से ओपन जेल में है, लेकिन एक पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पर आप लोगों ने भरोसा कर लिया। आपने अपना महत्वपूर्ण इस्तेमाल नहीं किया। यदि आप किसी चीज को लेकर आशंका जता रहे हैं तो उसके ठोस सबूत भी पेश करें। वहीं

कलेक्टर की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता की 20 दिन की पैरोल मंजूर कर ली गई है। इसके साथ ही एसपीस गृह और डीजीपी की ओर से विधानसभा सत्र में व्यस्त होने का हवाला देते हुए उपस्थिति से छूट चाही। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि कई बार दोनों अफसरों को इस व्यवस्था में सुधार के लिए कहा जा चुका है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसे में वे 16 मार्च को पेश होकर इस लापरवाही पूर्ण रवैये पर अपना स्पष्टीकरण दें और साथ ही भविष्य में ऐसी

लापरवाही से बचने के उपायों के बारे में भी बताएं। मामले से जुड़े अधिकता गोविंद प्रसाद रावत ने बताया कि याचिकाकर्ता कैदी का आचरण संतोषजनक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भरतपुर के संयुक्त निदेशक ने भी रिपोर्ट में पैरोल देने की सिफारिश की थी, लेकिन भरतपुर एसपी की रिपोर्ट पर उसे पैरोल नहीं दी गई। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चारों अफसरों को तलब करते हुए याचिकाकर्ता के पैरोल पर विचार करने को कहा था।

# भट्टा बस्ती में जुमे की नमाज के दौरान ढही मस्जिद की दीवार, 15 नमाजी घायल हुए

छह लोगों की हालत गंभीर, घायलों को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया

**-कार्यालय संवाददाता-**  
जयपुर। राजधानी के भट्टा बस्ती थाना इलाके में स्थित फिरदौस मस्जिद में शुक्रवार दोपहर जुमे की नमाज के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मस्जिद की एक दीवार अचानक भरभराकर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से करीब पंद्रह नमाजी घायल हो गए। हादसे के समय मस्जिद में सैकड़ों लोग मौजूद थे। दीवार गिरते ही मस्जिद परिसर में अफरा-तफरी मच गई और चौख-पुकार सुनाई देने लगी। एडिशनल डीसीपी नोर्ध बजरंग सिंह



भट्टा बस्ती इलाके में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद की दीवार ढहने से एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।



जयपुर शहर कोर्ट के अग्रसार 288 फर्श स्कूलों तक पहुंचे, जबकि 171 फर्श का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। मदन दिलावर ने आरोप लगाया कि उस समय के विधायक अजय सिंह किलक ने धिंधा के कार्यकाल में जिन शिक्षकों ने दरी लेने से मना किया, उनके तबादले तक करवा दिए गए थे। इस पर उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने सवाल उठाया कि यदि संबंधित व्यक्ति अब धाजपा में शामिल है तो क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी भ्रम पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

■ चीख-पुकार के बीच लोगों ने खुद शुरू किया रेस्टर्यू, मलबे से लोगों को बाहर निकाला

■ हादसे की सूचना पर भट्टा बस्ती पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया

शेखावत ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे जुमे की नमाज समाप्त होने के बाद कुछ नमाजी मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, जबकि कुछ लोग वजुखाने के पास भीड़ कम होने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान अचानक दीवार का एक हिस्सा ढह गया और वहां खड़े लोग मलबे की चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद नमाजियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और मलबा हटकर घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद

घायलों को ई-रिक्शा, ट्राई साइकिल और अन्य वाहनों की मदद से तुरंत कांबटिया अस्पताल पहुंचाया गया। भीड़ अधिक होने के कारण राहत कार्य में कुछ देर तक मुश्किल भी आई, लेकिन स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी घायलों को जल्द अस्पताल पहुंचा दिया गया। कांबटिया अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आर.एस. तंवर ने बताया कि कुल 15 घायलों को अस्पताल लाया गया था। इनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल रेफर किया गया, जबकि मामूली चोट वाले लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं गंभीर घायलों में रस्तम (40), ईशान

(34), खुशींद (25), सुहैल (25), इमाम जफर (20) और इकबाल (18) शामिल हैं। एसएमएस अस्पताल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट डॉ. जगदीश मोदी ने बताया कि 11 घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से तीन मरीज आईसीयू में भर्ती हैं, जबकि आठ का इलाज मास कैजुअल्टी चार्ज में चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही भट्टा बस्ती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस के अनुसार मस्जिद की दीवार का केवल एक हिस्सा गिरा है, जिससे बड़ा जानी नुकसान टल गया। प्रारंभिक जांचकर्ता ने दीवार के कमजोर होने और उस

पर अचानक अतिरिक्त दबाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की तकनीकी जांच कर रही है और सुरक्षा के सुपरिंटेंडेंट डॉ. जगदीश मोदी ने बताया कि 11 घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से तीन मरीज आईसीयू में भर्ती हैं, जबकि आठ का इलाज मास कैजुअल्टी चार्ज में चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही भट्टा बस्ती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस के अनुसार मस्जिद की दीवार का केवल एक हिस्सा गिरा है, जिससे बड़ा जानी नुकसान टल गया। प्रारंभिक जांचकर्ता ने दीवार के कमजोर होने और उस

कहना है कि जुमे की नमाज के बाद अचानक बच्चे भागने लगे तो दीवार पर अतिरिक्त लोड पड़ गया व दीवार गिर गई। जहां दीवार गिरी है। उस जगह चपलें उतारी जाती हैं, लेकिन लोग नमाज पढ़कर निकल रहे थे तो उन पर दीवार गिर गई। जयपुर शहर कोर्ट के अग्रसार 288 फर्श स्कूलों तक पहुंचे, जबकि 171 फर्श का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। मदन दिलावर ने आरोप लगाया कि उस समय के विधायक अजय सिंह किलक ने धिंधा के कार्यकाल में जिन शिक्षकों ने दरी लेने से मना किया, उनके तबादले तक करवा दिए गए थे। इस पर उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने सवाल उठाया कि यदि संबंधित व्यक्ति अब धाजपा में शामिल है तो क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी भ्रम पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

## ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने जान दी

जयपुर। करघनी थाना इलाके में स्थित कनकपुरा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को एक युवक ने एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार युवक की पहचान करीब 35 वर्षीय युवक के रूप में हुई है। लेकिन

पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि युवक ने अचानक स्टेशन पर आ रही एक्सप्रेस ट्रेन के सामने छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्टेशन परिसर में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर करघनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे

## 10 मार्च तक जारी रहेगी विधानसभा की कार्यवाही

जयपुर (विंस)। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही अब 10 मार्च तक चलेगी। शुक्रवार को स्पीकर वासुदेव देवनाथी की अध्यक्षता में हुई विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति (बीएससी) की बैठक में आगामी दिनों का कार्यक्रम तय किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 7 और 8 मार्च को विधानसभा की

छुट्टी रहेगी, जबकि 9 और 10 मार्च को महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा कर उन्हें पारित कराया जाएगा। 9 मार्च को सदन में राजस्थान पंचायतीराज संशोधन बिल-2026 और राजस्थान आयुर्वेद योग चिकित्सा विश्वविद्यालय बिल-2026 पर चर्चा होगी और बहस के बाद इन्हें पारित कराया जाएगा।

## आई.ओ.आर.ए. इकोलोजिकल सोल्यूशन और कृषि विभाग के बीच सहमति बनी

जयपुर (कांस)। कृषि विभाग और आईओआरए इकोलोजिकल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के मध्य राजस्थान में एग्रीकल्चरल लैंड मैनेजमेंट कार्बन प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए सहमति हुई। इस प्रकार की गतिविधियों में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्क्रीम 2023 के तहत राजस्थान के किसानों को सुगमता से

कार्बन फाइनेंस उपलब्ध कराने हेतु राज्य के चयनित ब्लॉकों में कार्बन उत्सर्जन को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है। इनमें कोटपुतली-बहरोडा का बानसपुर स्क्रीम, दौसा का महवा और टोंक का बालपुरा ब्लॉक शामिल है। किसानों को पायलट प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया एक आर्थिक और पर्यावरणीय तंत्र है।

## कांग्रेस सत्ता में आई तो खत्म करेंगे कानून : डोटासरा

जयपुर (विंस)। डिस्टर्ब एरिया बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में कहा कि, "2028 में कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इस बिल को खत्म करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि, सरकार धार्मिक उन्माद फैलाकर ऐसे बिल लाकर बहुसंख्यक वोटों को अपनी तरफ करके गुजरात का मांडल यहां पर अपनाते जा रही है। जमीन जायदाद पर सरकार की नजर है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। संपत्ति खोद बेचने के अधिकार संविधान से हमें मिले हैं। इस पर सरकार का नियंत्रण करना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए शांत क्षेत्र को अर्शात करने का षड्यंत्र है।" डोटासरा ने कहा कि डिस्टर्ब एरिया कानून सा होगा, समुदाय विशेष कानून सा होगा जिससे डिस्टर्ब करना चाहते हों? 2028 में कांग्रेस सत्ता में आएगी, हम इस बिल को खत्म करेंगे। राजस्थान में

यह परंपरा है, अगली बार हम आएंगे। राजस्थान में आपकी सरकार है फिर भी ऐसा बिल लाकर राजस्थान को क्यों जलाना चाह रहे हो। डोटासरा ने कहा कि इस बिल के जरिए आप समुदाय विशेष को इंगित करना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है? कानून में मंशा स्पष्ट करनी पड़ेगी, जो नहीं की गई है। इस बिल की धारा 5 में जिस तरह के प्रावधान हैं, उससे भ्रष्टाचार के दरवाजे खुल जाएंगे। कोर्ट में भी नहीं जा सकेगा। नूंदी के कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने तो बहस के दौरान यहां तक कह दिया कि, "अगर राजस्थान में सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो उसकी जिम्मेदार मौजूदा सरकार होगी।" उनका इस टिप्पणी के बाद सदन में माहौल गर्मा उठा, मंत्री अविनाश गहलोत और पूर्व मंत्री श्रीचंद कुलानी समेत मंत्री के तमाम विधायकों ने उनके बयान पर कड़ी नाराजगी जताई।

## राजस्थान विधानसभा में पारित हुआ "डिस्टर्ब एरिया बिल"

दंगा-सांप्रदायिक तनाव वाले इलाकों में एडीएम-एसडीएम की मंजूरी के बिना प्रॉपर्टी खरीद-बेच नहीं सकेंगे

**-विधानसभा संवाददाता-**  
जयपुर। विधानसभा में शुक्रवार को बहस के बाद डिस्टर्ब एरिया बिल पारित कर दिया गया। "दराजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमुवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फोर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेन्ट्स फ्रॉम एक्विजिशन फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब एरियाज बिल, 2026" के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार दंगा प्रभावित इलाकों को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकेगी। डिस्टर्ब एरिया में एडीएम या एसडीएम की मंजूरी के बिना कोई भी प्रॉपर्टी की खरीद और बेचान नहीं हो सकेगा, न रजिस्ट्री हो सकेगी। बिल के प्रावधानों के अनुसार, दंगा प्रभावित और जनसंख्या असंतुलन से हिंसा के हालात बनने पर एक क्षेत्र, कॉलोनी या वार्ड को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाएगा। क्षेत्र विशेष को डिस्टर्ब एरिया घोषित किए जाने के बाद वहां एडीएम-एसडीएम की मंजूरी के बिना प्रॉपर्टी की खरीद-बेचान नहीं किया जा सकेगा। बिना अनुमति अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो भी जाता है तो उसे अमान्य कर शून्य घोषित किया जा सकेगा। बिल में समुदाय विशेष की जनसंख्या बढ़ने और डेमोग्राफी प्रभावित होना भी डिस्टर्ब एरिया घोषित करने का आधार बन सकता है। हालांकि बैंकों और एनबीएफसी नीलाम कर सकेंगे।

■ बिल के प्रावधानों के मुताबिक एडीएम-एसडीएम की मंजूरी के बिना अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो भी जाता है तो उसे अमान्य कर शून्य घोषित किया जा सकेगा।

■ इस बिल में समुदाय विशेष की जनसंख्या बढ़ने और डेमोग्राफी प्रभावित होना भी डिस्टर्ब एरिया घोषित करने का आधार बन सकता है। हालांकि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास गिरवी प्रॉपर्टी पर कानून लागू नहीं होगा।

5 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना कानून के इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होगा, जिसमें 3 साल से 5 साल तक जेल और जुर्माने की सजा होगी। साथ ही 1 लाख तक जुर्माना भी लगाया जाएगा। हालांकि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रॉपर्टी गिरवी होने पर यह कानून लागू नहीं होगा। डिस्टर्ब एरिया में गिरवी प्रॉपर्टीज को बैंक और एनबीएफसी नीलाम कर सकेंगे।

## कांग्रेस सत्ता में आई तो खत्म करेंगे कानून : डोटासरा

जयपुर (विंस)। डिस्टर्ब एरिया बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में कहा कि, "2028 में कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इस बिल को खत्म करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि, सरकार धार्मिक उन्माद फैलाकर ऐसे बिल लाकर बहुसंख्यक वोटों को अपनी तरफ करके गुजरात का मांडल यहां पर अपनाते जा रही है। जमीन जायदाद पर सरकार की नजर है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। संपत्ति खोद बेचने के अधिकार संविधान से हमें मिले हैं। इस पर सरकार का नियंत्रण करना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए शांत क्षेत्र को अर्शात करने का षड्यंत्र है।" डोटासरा ने कहा कि डिस्टर्ब एरिया कानून सा होगा, समुदाय विशेष कानून सा होगा जिससे डिस्टर्ब करना चाहते हों? 2028 में कांग्रेस सत्ता में आएगी, हम इस बिल को खत्म करेंगे। राजस्थान में

यह परंपरा है, अगली बार हम आएंगे। राजस्थान में आपकी सरकार है फिर भी ऐसा बिल लाकर राजस्थान को क्यों जलाना चाह रहे हो। डोटासरा ने कहा कि इस बिल के जरिए आप समुदाय विशेष को इंगित करना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है? कानून में मंशा स्पष्ट करनी पड़ेगी, जो नहीं की गई है। इस बिल की धारा 5 में जिस तरह के प्रावधान हैं, उससे भ्रष्टाचार के दरवाजे खुल जाएंगे। कोर्ट में भी नहीं जा सकेगा। नूंदी के कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने तो बहस के दौरान यहां तक कह दिया कि, "अगर राजस्थान में सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो उसकी जिम्मेदार मौजूदा सरकार होगी।" उनका इस टिप्पणी के बाद सदन में माहौल गर्मा उठा, मंत्री अविनाश गहलोत और पूर्व मंत्री श्रीचंद कुलानी समेत मंत्री के तमाम विधायकों ने उनके बयान पर कड़ी नाराजगी जताई।